


145
25

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी
को अंतिम विदायत की गई थी कि
आगामी पेशी पर तामिल की रसीदें
पेश करें, अन्यथा आदेश ७ नियम 5
के तहत आदेश पारित किया जाएगा
लॉन्ग वकील वादी ने आज दिनांक
तक तामिल की रसीदें पेश नहीं की।
अतः वादी का वाद आदेश ७ नियम

उ के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपग्रण्ड अधिकारी
बंतारामगढ़ (सीकर)